उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42, 1975)

THE UTTAR PRADESH LOKAYUKTA AND UP-LOKAYUKTAS ACT, 1975

(U.P. Act No. 42 of 1975)

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42, 1975]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 07, 1981

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 08, 1988

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 1989

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 2006

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 04, 2012

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 2024

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 31 जुलाई, 1975 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 5 अगस्त, 1975 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 7 सितम्बर, 1975 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 8 सितम्बर, 1975 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

कतिपय मामलों में मंत्रियों, विधायकों तथा अन्य लोक सेवकों के विरूद्ध शिकायतों तथा अभिकथनों का अवगत करने के निमित कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति और उनके कृत्यों तथा तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 कहलायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा और यह उत्तर प्रदेश के बाहर उस राज्य का कार्य के सम्बन्ध में तैनात लोक सेवकों पर भी लागू होगा ।

(3) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना[2] द्वारा नियत करें ।

परिभाषाएं

2–इस अधिनियम में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो ––

(क) "कार्यवाही" का तात्पर्य विनिश्चय, सिफारिश या उपपत्ति के रूप मे या किसी भी अन्य रीति से की गयी कार्यवाही से है और इसमें कोई कार्य करने में असफल रहना सम्मिलित है, और कार्यवाही की अर्थबोधक समस्त अन्य अभव्यक्तियों का अर्थ तद्नुसार लगाया जायगा ;

(ख) "अभिकथन" का तात्पर्य किसी लोक सेवक के संबंध मे ऐसे किसी प्रतिज्ञान से है कि––

---

1. उद्देश्य और कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

2. अधिसूचना सं0 3794/39–2–39 (16)/75, दिनांक 12 जुलाई, 1977 द्वारा यह अधिनियम दिनांक 12 जुलाई, 1977 से प्रवृत्त किया गया ।

(1) उस लोक सेवक ने उसी रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अभिलाभ या अनुग्रह अभिप्राप्त करने या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित अपहानि या कष्ट पहुंचाने के लिये किया है ;

(2) वह उस लोक सेवक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित अथवा अनुचित या भ्रष्ट उद्देश्य से प्रेरित था ; या

(3) वह उस लोक सेवक की हैसियत से भ्रष्टाचार या ईमानदारी की कमी का दोषी हो ;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य लोक सेवक के संबंध में ––

(1) मंत्री या सचिव या विधान सभा के या विधान परिषद् के सदस्य के मामले में मुख्य मंत्री से है ;

(2) किसी अन्य लोक सेवक के मामले में ऐसे प्राधिकारी से हे जो विहित किया जाय ;

[1][(घ) "शिकायत" का तात्पर्य ––

(1) किसी व्यक्ति के इस दावे से है कि वह कुप्रशासन के परिणामस्वरूप अन्याय या अनुंचित कष्ट का भागी बना है ; या

(2) इस आशय के परिवाद से है कि उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में किसी लोक सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिये सशक्त किसी प्राधिकारी ने उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 1989 के प्रारम्भ होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन–जातियों के सदस्यों के लिये निर्धारित आरक्षित कोटा का उल्लंघन करके कोई नियुक्ति की है ;]

(ङ) "लोक आयुक्त" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है ; और "उप लोक आयुक्त" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है ;

(च) "कुप्रशासन" का तात्पर्य किसी कार्यवाही से है जो किसी मामले मे प्रशासकीय कृत्यों के सम्पादन में की जाय या जिसका किया जाना अभिप्रेत हो ––

(1) जहां कि ऐसी कार्यवाही या ऐसी कार्यवाही को नियंत्रित करने वाली प्रशासकीय प्रक्रिया या पद्धति अयुक्तिसंगत, अन्यायपूर्ण, [2][उत्पीड़क] या अनुचित रूप से विभेदकारी हो ; या

(2) जहां कि ऐसी कार्यवाही करने में उपेक्षा या अनुचित विलम्ब हुआ हो या ऐसी कार्यवाही को नियंत्रित करने वाली प्रशासकीय प्रक्रिया या पद्धति में अनुचित विलम्ब सन्निहित हो ;

(छ) "मंत्री" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य की मंत्रि परिषद् के (मुख्य मंत्री से भिन्न) किसी सदस्य से है, चाहें वह किसी भी नाम से पुकारा जाय, अर्थात् मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री ;

(ज) "अधिकारी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यो से संबद्ध किसी लोक सेवा या पद के लिए नियुक्त व्यक्ति से है ;

(झ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सख्या 10, 1989 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1981 की धारा 2 (क) द्वारा अन्तर्विष्ट और सदैव से अन्तर्विष्ट समझा जायेगा ।

(ञ) "लोक सेवक" नीचे वर्णित किसी भी प्रकार के व्यक्ति का द्योतक है, और इसके अन्तर्गत धारा 8 की उपधारा (4) के उपबन्धों के रहते हुए, कोई व्यक्ति जो पहले किसी भी समय नीचे वर्णित रूप में रहा हो, भी है, अर्थात् : ––

(1) खण्ड (छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक मंत्री ;

(2) उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का प्रत्येक सदस्य जो मुख्य मंत्री या खण्ड (छ) में निर्दिष्ट मंत्री न हो ;

(3) खण्ड (ज) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी ;

(4) (क) प्रत्येक क्षेत्र समिति का प्रमुख ;

(ख) प्रत्येक जिला परिषद् का अध्यक्ष ;

(ग) प्रत्येक नगरमहापालिका का नगर प्रमुख ;

(घ) यू0 पी0 म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 2 के खण्ड (4) में यथा परिभाषित किसी सिटी की नगरपालिका का प्रत्येक प्रेसीडेन्ट ;

(ड़) सहकारी समितियों से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी जिला स्तर की केन्द्रीय समिति अथवा किसी शीर्ष समिति का कोई अशासकीय सभापति (जिसके अन्तर्गत उक्त विवरण का प्रत्येक पदाधिकारी भी है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) या प्रबंध निदेशक ;

स्पष्टीकरण––इस उप खण्ड में "केन्द्रीय समिति" का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है जिसकी सदस्यता में अन्य सहकारी समितियां भी सम्मिलित हों, और "शीर्ष समिति" का तात्पर्य राज्य स्तर की केन्द्रीय समिति से है ;

(5) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित की सेवा में है या उसका वेतन भोगी है––

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में कोई भी स्थानीय प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा, गजट मे तदर्थ अधिसूचित किया जाय ;

(ख) उत्तर प्रदेश या केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण का कोई निगम [स्थानीय प्राधिकारी से भिन्न] जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ गजट में अधिसूचित किया जाय ;

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 01) की धारा 617 के अर्थान्तर्गत कोई सरकारी कम्पनी जिसने समादत अंशपूजी का 51 प्रतिशत से अन्यून [1][राज्य सरकार द्वारा धारित है या कोई कम्पनी] जो किसी ऐसी कम्पनी की सहायक है जिसमें समादत अंशपूंजी का 51 प्रतिशत के अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है और जिसे राज्य सरकार द्वारा गजट में तदर्थ अधिसूचित किया जाय ;

(घ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रकृत कोई सोसाइटी जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है और जिसे उस सरकार द्वारा गजट में तदर्थ अधिसूचित किया जाय ;

(ट) "सचिव" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव से है और इसके अन्तर्गत विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव भी है ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1981 की धारा 2 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट और सदैव से अन्तर्विष्ट समझा जायेगा ।

लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्तों की नियुक्ति

3–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अन्वेषण करने के प्रयोजन लोक के लिये, राज्यपाल, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा लोक आयुक्त के रूप में ज्ञात होने वाले व्यक्ति और उप लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्तों के रूप में ज्ञात होने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करेगें ;

प्रतिबन्ध यह है कि ––

(क) लोक आयुक्त को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति और विधान सभा में विरोधी दल के नेता से और यदि ऐसा नेता न हो तो उस व्यक्ति से, जिसे सदन मे विरोध पक्ष के सदस्यगण ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दे, निर्वाचित करें, परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किया जायेगा ;

(ख) उप लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्तों को लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किया जायेगा ;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष, विधान सभा को यह समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण पूर्ववर्ती परन्तुक के खण्ड (क) के अनुसरण में विरोधी दल के नेता से परामर्श व्यावहारिक नही है तो वह राज्यपाल को विधान सभा में विरोधी दल के किसी अन्य सदस्य का नाम सूचित कर सकते है जिससे विरोधी दल के नेता के बजाय उक्त खण्ड के अधीन परामर्श किया जायेगा।

(2) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल के या उसके द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष प्रथम अनुसूची में एस प्रयोजन के लिये दिए हुए प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

(3) उप लोक आयुक्त, लोक आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे, और विशिष्टतया, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषणों के सुविधाजनक निपटारे के प्रयोजन के लियें, लोक आयुक्त, उप–लोक आयुक्त को ऐसे सामान्य या विशेष निदेश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे ;

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नही लगाया जायगा कि वह लोक आयुक्त को किसी उप लोक आयुक्त की किसी भी उपधारा निष्कर्ष या सिफारिश पर आपत्ति करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त द्वारा कोई अन्य पद ग्रहण न करना

4–लोक आयुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल का सदस्य नही है और कभी नही रहा है और न्यास या लाभ का कोई पद (लोक आयुक्त या, यथास्थिति, उप लोक आयुक्त के अपने पद से भिन्न) धारण नही करेगा या किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध नही होगा या कोई कारबार या वृत्ति नही करेगा, और तदनुसार लोक आयुक्त या यथास्थिति उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व ––

(क) यदि यह पदासीन न्यायधीश है या न्यास या लाभ का कोई अन्य पद धारण करता है तो ऐसे पद से त्याग–पत्र दे देगा ; या

(ख) यदि वह किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध है तो उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा ; या

(ग) यदि वह कोई कारबार कर रहा है तो ऐसे कारबार के संचालन और प्रबंध से (स्वामित्व से अपने को वंचित न करते हुए) अपना संबंध विच्छेद कर लेगा ; या

(घ) यदि वह कोई वृति कर रह है तो उस वृत्ति का करना निलम्बित कर देगा ।

लोक आयुक्त और उप–लोक आयुक्त की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें

5–[1][(1) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त के रूप मे नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, पांच वर्ष की अवधि अथवा सत्तर वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक के लिए पद धारण करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त अपनी पदावधि की समाप्ति के होते हुये भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण न कर ले ।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि ––

(क) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ;

(ख) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को धारा 6 में विनिर्दिष्ट रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा ।]

(2) यदि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त का पद रिक्त हो जाय, या यदि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से, चाहे वह कुछ भी हो, अपने पद के कत्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो जब तक धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति उस पद को ग्रहण न कर लें या यथास्थिति, लोक आयुक्त या ऐसा उप–लोक आयुक्त अपने कर्तव्यों का पुनरारम्भ न करें, उन कर्तव्यों का पालन ––

(क) जहाँ लोक आयुक्त का पद रिक्त हो जाय या जहाँ वह अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो वहां उप लोक आयुक्त द्वारा अथवा यदि दो या अधिक उप लोक आयुक्त हों तो उन उप लोक आयुक्तों में से ऐसे उप लोक आयुक्त द्वारा किया जायगा जिसकों राज्यपाल आदेश द्वारा निदेश दे ,

(ख) जहाँ उप लोक आयुक्त का पद रिक्त हो जाय या जहां वह अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो वहां स्वयं लोक आयुक्त द्वारा या यदि लोक आयुक्त ऐसा निदेश दे तो अन्य उप लोक आयुक्त द्वारा, या यथास्थिति अन्य उप लोक आयुक्तों में से ऐसे किसी एक द्वारा किया जायगा जैसा निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय ।

[2][(3) पद पर न रह जाने पर, लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन अग्रतर नियोजन के लिये अपात्र हो जायेगा।]

(4) लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त को ऐसे वेतन दिए जायेंगे जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सख्या 03, 2024 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सख्या 04, 2012 की धारा 2(ख) द्वारा प्रतिस्थापित। (15 मार्च, 2012 से रखी समझी जाएगी।)

(5) लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त को देय भत्ते और पेन्शन, यदि कोई हो, और उसकी सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होगी जैसी विहित की जायें :

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को देय भत्ते और पेन्शन और उनकी सेवा की अन्य शर्तो को विहित करने में ––

(क) लोक आयुक्त की स्थिति में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिकपति को देय भत्ते और पेंशन और उनकी सेवा की अन्य शर्तो का ध्यान रख जायेगा ;

(ख) उप लोक आयुक्त की स्थिति में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय भत्ते और पेशन और उनको सेवा की अन्य शर्तो का ध्यान रखा जायेगा ;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को देय भत्तों और पेशन में, यदि कोई हो, और उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसकों अलाभकारी कोई परिवर्तन नही किया जायगा ।

[1][(6) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा किया गया संशोधन उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को, यथास्थिति, आसीन लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त पर लागू होगा ।]

लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त का हटाया जाना

6–(1) संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लोक आयुक्त अथवा किसी उप लोक आयुक्त को कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर, न कि किसी अन्य आधार पर, राज्यपाल द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार हटाये जाने से पूर्व उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) के अधीन की जाने के लिये अपेक्षित जांच ––

(i) लोक आयुक्त के संबंध में, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ही की जायगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधिपति अथवा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति है अथवा रह चुका है, तथा

(ii) किसी उप लोक आयुक्त के संबंध में, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायगी, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधिपति है अथवा रह चुका है अथवा किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति है अथवा रह चुका है ।

(2) उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन नियुक्त व्यक्ति अपनी जांच का प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा, जो उसे यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगे ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल, लोक आयुक्त अथवा किसी उप लोक आयुक्त को तब तक नही हटायेगें जब तक कि इस प्रकार हटाये जाने के लिए प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यो मे से कम से कम दो–तिहाई के बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राज्यपाल के समक्ष राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में प्रस्तुत न कर दिया जाय ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सख्या 04, 2012 की धारा 2(ग) द्वारा बढ़ाया गया ।

लोक आयुक्त अथवा उप आयुक्त द्वारा अन्वेषणीय मामले

7–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, और परिवाद पर, जिसमें तदर्थ की गई शिकायत या अभिकथन सन्निहित हो, लोक आयुक्त किसी ऐसी कार्यवाही का अन्वेषण कर सकेगा, जो ––

[1] किसी मन्त्री अथवा सचिव ; और

[2] धारा 2 के खण्ड (ञ) के उपखण्ड (2) या (4) में निर्दिष्ट किसी लोक सेवक; या

[3] राज्य सरकार द्वारा लोक आयुक्त के परामर्श से तदर्थ अधिसूचित लोक सेवकों के किसी वर्ग या उप वर्ग के [1][***] किसी अन्य लोक सेवक, के द्वारा या सामान्य अथवा विशिष्ट अनुमोदन से की गयी हो ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, और परिवाद पर, जिसमें तदर्थ की गयी शिकायत या अभिकथन सन्निहित हों, कोई उप लोक आयुक्त, किसी भी ऐसी कार्यवाही का अन्वेषण कर सकेगा जो मंत्री, सचिव अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य लोक सेवक से भिन्न किसी अन्य लोक सेवक के द्वारा या सामान्य अथवा विशिष्ट अनुमोदन से की गयी हो ।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, लोक आयुक्त, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, किन्हीं भी ऐसी कार्यवाही का अन्वेषण कर सकेगा, जिसका अन्वेषण उस उपधारा के अधीन उप लोक आयुक्त कर सकता है ।

(4) इस अधिनियम के अधीन यदि दो या अधिक उप लोक आयुक्त नियुक्त किये जाये तो, लोक आयुक्त, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उनमें से प्रत्येक का ऐसे मामले सौंप सकेगा जिसका अन्वेषण इस अधिनियम के अधीन उनके द्वारा किया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अधीन किसी उप लोक आयुक्त द्वारा किये गये अन्वेषण और ऐसे अन्वेषण के संबंध में उसके द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही या किये गये कार्य के सम्बन्ध मे केवल इस आधार पर आपत्ति नही उठाई जायगी कि ऐसा अन्वेषण ऐसे मामले के सम्बन्ध में है जो ऐसे आदेश द्वारा उसे नहीं सौंपा गया है ।

वे मामले जिनमें अन्वेषण नहीं किया जायेगा

8–(1) एतद्द्वारा दिए गए उपबन्धों के सिवाय, लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण नही करेगा ––

(क) सिवाय परिवाद पर, जो धारा 9 के अधीन और अनुसार किया जाय ;

(ख) जिस परिवाद मे किसी कार्यवाही के संबंध में शिकायत सन्निहित हो, उस मामले में ––

(1) यदि ऐसी कार्यवाही तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में हो;

(2) यदि परिवादी के पास किसी अधिकरण या न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के रूप में कोई उपचार है या था ;

प्रतिबन्ध यह है कि उप खण्ड (2) की कोई बात लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को अन्वेषण करने से नहीं रोकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा व्यक्ति पर्याप्त कारण से उस उप खण्ड में निर्दिष्ट उपचार का आश्रय नही ले सकता है या था ;

(2) लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त किसी ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई अन्वेषण नही करेगा ––

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 7, 1981 की धारा 4 द्वारा निकाला गया और सदैव से निकाला गया समझा जायेगा ।

(क) जिसके संबंध में लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 (1850 का केन्द्रीय अधिनियम 37) के अधीन किसी औपचारिक और सार्वजनिक जांच के आदेश भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा दे दिए गये है ; या

(ख) जो ऐसे मामले के संबंध में है जो जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 60) के अधीन जांच के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अभिदिष्ट कर दिया गया है ।

(3) लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त ऐसे परिवाद का अन्वेषण नही करेगा जो धारा 19 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना के फलस्वरूप उसकी अधिकारिता से अपवर्जित हो जाती है ।

(4) लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त ––

(क) किसी परिवाद का अन्वेषण नही करेगा जिसमें शिकायत सन्निहित हो, यदि परिवाद उस दिनांक से बारह मास की समाप्ति के पश्चात् किया जाय, जिस दिनांक को परिवादी परिवादित कार्यवाही से अवगत हो जाता है ;

(ख) किसी परिवाद का अन्वेषण नही करेगा जिसमें अभिकथन सन्निहित हो यदि परिवाद उस दिनांक से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किया जाय जिस दिनांक को परिवादित कार्यवाही का किया जाना अभिकथित है :

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त खण्ड (क) में निर्दिष्ट परिवाद को ग्रहण कर सकता है, यदि परिवादी उसका समाधान कर देता है कि उस खण्ड में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परिवाद न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था ।

(5) जिस परिवाद में शिकायत सन्निहित हो, उस मामले में इस अधिनियम की किसी बात का अर्थ यह नही लगाया जायगा कि लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को किसी प्रशासकीय कार्यवाही पर आक्षेप करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें विवेक का प्रयोग सन्निहित है, किन्तु इसका अपवाद वहाँ होगा जहाँ उसका समाधान हो जाय कि विवेक के प्रयोग में जो तत्व सन्निहित है उनका अभाव इस सीमा तक है कि यह नही माना जा सकता कि विवेक का उचित प्रयोग किया गया है ।

(6) लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त किसी परिवाद का अन्वेषण नही करेगा जिसमें धारा 2 के खण्ड (ञ) के उप खण्ड (4) या उप खण्ड (5) में निर्दिष्ट लोक सेवक के विरूद्ध शिकायत सन्निहित है ।

परिवादों के सम्बन्ध में उपबन्ध

9–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ––

(क) किसी शिकायत के सम्बन्ध में, व्यथित व्यक्ति द्वारा,

(ख) किसी अभिकथन के सम्बन्ध में, [1][आसीन लोक सेवक] से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को इस अधिनियम के अधीन परिवाद किया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ व्यथित व्यक्ति मर गया हो या किसी कारण से स्वयं कार्य करने में असमर्थ हो, वहां परिवाद किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा जो विधि की दृष्टि में उसकी सम्पदा का प्रतिनिधित्व करता है, या यथास्थिति, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा जो तदर्थ उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाय ।

[2][अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी शिकायत की स्थिति में, जिसमें धारा 2 के

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सख्या 04, 2012 की धारा 3(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सख्या 10, 1989 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।

खंड (घ) के उपखंड (2) में निर्दिष्ट परिवाद अर्न्तग्रस्त हो, परिवाद किसी ऐसे संगठन द्वारा भी किया जा सकता है जिसे राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त मान्यता दी गयी हो ।]

[1][(2) प्रत्येक परिवाद के साथ उसके समर्थन में नोटरी के समक्ष सत्यापित स्वयं परिवादी का निजी शपथ पत्र और उन सभी व्यक्तियों के भी शपथ पत्र होंगे जिनके द्वारा अभियोग से सम्बन्धित तथ्यों की सूचना प्राप्त होने का वह दावा करता है और अभियोग से सम्बन्धित सभी दस्तावेज होंगे जो उसके कब्जे या उसकी शक्ति मे हो, और परिवाद के साथ उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (परिवाद) नियमावली, 1977 के अधीन दायर अभिकथन के परिवाद के सम्बन्ध में प्रतिभूति के रूप में दो हजार रूपये की राशि का भुगतान किया जायेगा।]

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक परिवाद और शपथ–पत्र तथा उससे संलग्न कोई अनुसूची या अनुलग्नक का सत्यापन क्रमशः अभिवचनों और शपथ–पत्रों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा ।

(4) परिवादी द्वारा परिवाद को और उसके अनुलग्नकों की कम से कम तीन प्रतियां प्रस्तुत की जायेंगी।

(5) कोई ऐसा परिवाद, जिसमें पूर्ववर्ती किसी भी उपबन्ध का अनुपालन नहीं किया गया है, ग्रहण नही किया जायेगा।

(6) उपधारा (1) से (5) तक में या किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, पुलिस की अभिरक्षा में या कारगार में या पागल व्यक्तियों के लिए किसी पागलखाना वा अन्य स्थान में किसी व्यक्ति के द्वारा लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को लिखित किसी पत्र को बिना खोले और अविलम्ब पुलिस अधिकारी या उस कारगार, पागलखाना या अन्य स्थान के प्रभारी अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्रसारित किया जायेगा और लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त, यथास्थिति, उसको ग्रहण और उसकों परिवाद के रूप में मान्य कर सकता है, किन्तु ऐसे परिवाद के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि वह उपधारा (2) के अधीन शपथ–पत्र संलग्न या समर्थित न हो ।

अन्वेषणों के सम्बन्ध में प्रक्रिया

10– (1) जहां लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त (ऐसी प्रारम्भिक जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे) इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने का प्रस्ताव करता है, तो वह ––

(क) उस परिवाद की प्रतिलिपि, सम्बन्धित लोक सेवक को और संबंधित सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा ;

(ख) संबंधित लोक सेवक को उस परिवाद पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा ; और

(ग) अन्वेषण से सुसंगत दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के सम्बन्ध में ऐसे आदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

(2) ऐसा प्रत्येक अन्वेषण असार्वजनिक होगा, और विशेषतः परिवादी तथा अन्वेषण से प्रभावित लोक सेवक का परिचय अन्वेषण के पूर्व, दौरान या पश्चात् जनता या प्रेस के समक्ष प्रकट नहीं किया जायेगा ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम सख्या 4, 2012 की धारा 3(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त किसी निश्चित लोक महत्व के मामले से सम्बन्धित कोई भी अन्वेषण सार्वजनिक रूप से कर सकेगा यदि वह, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, ऐसा करना उचित समझे ।

(3) यथापूर्वोक्त को छोड़कर, ऐसा कोई अन्वेषण करने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसा कि लोक आयुक्त या यथास्थिति, उप लोक आयुक्त मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे ।

(4) लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त, अपने विवेकानुसार किसी परिवाद का अन्वेषण करने से जिसमें शिकायत या अभिकथन सन्निहित हो, इन्कार कर सकेगा या उसे करना बन्द कर सकता है, यदि उसकी राय में : ––

(क) वह परिवाद तुच्छ है या तंग करने के लिये किया गया है, अथवा सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है ; या

(ख) अन्वेषण के लिए या यथास्थिति, अन्वेषण चालू रखने के लिए कोई पर्याप्त आधार नही है ; या

(ग) परिवादी के लिये अन्य उपचार उपलब्ध है और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, परिवादी के लिये उन उपचारों का लाभ प्राप्त करना अधिक उचित होगा ।

(5) ऐसे किसी मामले में, जहां लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त किसी परिवाद को ग्रहण नहीं करने का या किसी परिवाद के संबंध में कोई अन्वेषण बन्द करने का विनिश्चय करें, वहां वह, उसके लिए अपने कारण अभिलिखित करेगा और उन्हें परिवादी तथा सम्बन्धित लोक सेवक को संसूचित करेगा ;

(6) किसी भी कार्यवाही के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण का संचालन ऐसी कार्यवाही को या अन्वेषणाधीन किसी भी मामले के संबंध में आगे कार्यवाही करने की किसी लोक सेवक की किसी भी शक्ति या कर्तव्य को प्रभावित नही करेगा ।

11–(1) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन किसी भी अन्वेषण (जिसमें ऐसे अन्वेषण के पूर्व की प्रारम्भिक जांच भी, यदि कोई हो, सम्मिलित है) के प्रयोजनार्थ लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त किसी भी लोक सेवक से या ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में उस अन्वेषण से सुसंगत सूचना देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ है, ऐसी कोई भी सूचना देने या ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा । **साक्ष्य**

(2) लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को, ऐसे किसी भी अन्वेषण (जिसमें प्रारम्भिक जांच भी सम्मिलित है) के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित बातों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् : ––

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक दस्तावेज की या उसकी प्रतिलिपि की अभियाचना करना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना ; तथा

(च) अन्य ऐसे मामले, जो विहित किये जायें ।

(3) लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 193 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी ।

(4) उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गोपनीयता बनाये रखने का कोई आभार या राज्य सरकार या किसी लोक सेवक के द्वारा अभिप्राप्त या उसे दी गयी सूचना के प्रकटीकरण पर कोई निर्बन्धन, चाहे वह किसी अधिनियमिति द्वारा या विधि के किसी नियम द्वारा आरोपित हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजनार्थ सूचना के प्रकटीकरण पर लागू नही होगा और राज्य सरकार या कोई लोक सेवक किसी ऐसे अन्वेषण के सम्बन्ध में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या साक्ष्य देने के बारे में किसी ऐसे विशेषाधिकार का हकदार नही होगा, जो विधिक कार्यवाहियों में किसी अधिनियमिति या विधि के किसी नियम द्वारा अनुज्ञात है ।

(5) इस अधिनियम के आधार पर कोई ऐसी सूचना देने, या किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने या किसी दस्तावेज का ऐसा अंश प्रस्तुत करने के लिये किसी व्यक्ति से अपेक्षा नही की जायगी न उसको प्राधिकृत किया जायगा ––

(क) जिससे कि राज्य की सुरक्षा या भारत की प्रतिरक्षा या उसको अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों (जिसमें किसी भी अन्य देश की सरकार के साथ या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के साथ भारत के सम्बन्ध भी सम्मिलित है) पर या अपराध के अन्वेषण या पता लगाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सके ; या

(ख) जिसमें कि राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल या उस मंत्रिमण्डल की किसी समिति की कार्यवाहियों का प्रकटीकरण सन्निहित हो ;

और इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, मुख्य सचिव द्वारा जारी किया गया ऐसा प्रमाण–पत्र बाध्यकर और निश्चायक होगा जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कोई भी सूचना, उत्तर या दस्तावेज का अंश, खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है ।

(6) उपधारा (4) के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजनार्थ किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई भी साक्ष्य देने या ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश करने के लिए विवश नही किया जायगा, जिसे किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में देने या पेश करने के लिए विवश नही किया जा सकता हो ।

लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त प्रतिवेदन

12–(1) यदि किसी कार्यवाही के अन्वेषण के पश्चात् जिसके संबंध में परिवाद किया गया है, जिसमें शिकायत सन्निहित है लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त का यह समाधान हो जाय कि ऐसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है अथवा उसे अनुचित कष्ट हुआ है, तो लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त लिखित प्रतिवेदन द्वारा सम्बद्ध लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी से यह सिफारिश करेगा कि ऐसे अन्याय अथवा अनुचित कष्ट का उपचार या निवारण ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर करना होगा जिसे प्रतिवेदन मे विनिर्दिष्ट किया जाय ।

(2) सक्षम प्राधिकारी जिसे उपधारा (1) के अधीन प्रतिवेदन भेजा जाय, प्रतिवेदन मे विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से एक मास के भीतर, लोक आयुक्त या, यथास्थिति, उप

लोक आयुक्त को प्रतिवेदन का अनुपालन करने के लिये की गयी कार्यवाही की सूचना देगा अथवा दिलवायेगा ।

(3) यदि किसी कार्यवाही के अन्वेषण के पश्चात् जिसके सम्बन्ध मे ंकोई परिवाद किया गया है जिसमे अभिकथन सन्निहित है, लोक आयुक्त अथवा किसी उप लोक आयुक्त का समाधान हो जाय कि ऐसे अभिकथन को पूर्णतः या अंशतः सिद्ध किया जा सकता है तो वह लिखित प्रतिवेदन द्वारा सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के सहित, अपने निष्कर्ष तथा सिफारिश को सक्षम प्राधिकारी को संसूचित करेगा ।

(4) सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (3) के अधीन उसे भेजे गये प्रतिवेदन की परीक्षा करेगा और प्रतिवेदन की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर लोक आयुक्त था, यथास्थिति, उप लोक आयुक्त को, प्रतिवेदन के आधार पर की गई या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही प्रज्ञापित करेगा ।

(5) यदि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त का उपधारा (1) तथा उपधारा (3) में निर्दिष्ट उसकी सिफारिशों या निष्कर्षों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही से समाधान हो जाय तो वह समबद्ध परिवादी, लोक सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी को, सूचित करते हुए मामले को समाप्त कर देगा, परन्तु जहाँ उसका इस प्रकार समाधान न हो और यदि वह मामले को इस योग्य समझे तो वह राज्यपाल को उसके बारे मे ंएक विशेष प्रतिवेदन भेज सकेगा तथा सम्बद्ध परिवादों को भी उसकी सूचना दे सकेगा ।

(6) लोक आयुक्त तथा सभी उप लोक आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के सम्बन्ध मे ंएक समेकित प्रतिवेदन प्रति वर्ष राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे ।

(7) उपधारा (5) के अधीन विशेष प्रतिवेदन या उपधारा (6) के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल, उसकी एक प्रतिलिपि, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेंगे ।

(8) धारा 10 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लोक आयुक्त अपने द्वारा अथवा उप लोक आयुक्त द्वारा समाप्त किये गये या अन्यथा निपटायें गये मामलों का सारांश, जो उसे सामान्य, शैक्षिक या वृत्तिक अभिरूचि का प्रतीत हो, ऐसी रीति से तथा ऐसे व्यक्तियों को समय–समय पर स्वविवेकानुसार उपलब्ध करा सकेगा, जिन्हें वह उपयुक्त समझे ।

मिथ्या परिवाद के मामले में कार्यवाही

13–(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपक्रम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो इस अधिनियम के अधीन जानबूझ कर या दुर्भाग्य से कोई मिथ्या परिवाद करता है दोष सिद्ध होने पर कारावास का दण्ड दिया जायगा जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी और वह जुर्माने का भी दायी होगा ।

(2) लोक आयुक्त द्वारा अन्वेषित किसी परिवाद के मामले में सेशन न्यायालय के अथवा उप लोक आयुक्त द्वारा अन्वेषित किसी परिवाद के मामले मे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय के सिवाय, कोई न्यायालय उपधारा (1) के अधीन अपराध का संज्ञान नही करेगा।

(3) ऐसा कोई न्यायालय यथापुर्वोक्त ऐसे अपराध का संज्ञान, यथास्थिति, लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त के निदेश पर लोक अभियोजक द्वारा किये गये लिखित

परिवाद पर करेगा अन्यथा नही और सेशन न्यायालय ऐसे परिवाद पर अपराध का संज्ञान दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी मामला उसको सुपुर्द न किये जाने पर भी कर सकेगा ।

(4) ऐसा न्यायालय, मिथ्या परिवाद करने वाले व्यक्ति के दोषी सिद्ध होने पर, जुर्माने की राशि में से परिवादी को प्रतिकर के रूप में ऐसी राशि दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

(5) यदि लोक आयुक्त अथवा किसी उप लोक आयुक्त को उसके समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर यह प्रतीत हो कि ऐसी कार्यवाही में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति ने अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने इस अधिनियम के अधीन किये गये परिवाद के समर्थन में कोई शपथ–पत्र दाखिल किया है, जानते हुए या जानबूझ कर मिथ्या साक्ष्य दिया है या इस आशय से मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है कि ऐसा साक्ष्य ऐसी कार्यवाही में प्रयुक्त किया जाय, तो यदि, यथास्थिति, लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि न्याय के हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि उस व्यक्ति का, यथास्थिति, मिथ्या साक्ष्य देने व गढ़ने के लिये संक्षिप्त विचारण किया जाना चाहिए तो वह ऐसे अपराध का संज्ञान कर सकेगा और अपराधी को ऐसा कारण दर्शित करने का कि क्यों न उसे ऐसे अपराध के लिए दण्डित किया जाय, उचित अवसर देने के पश्चात् ऐसे अपराधी का संक्षिप्त विचारण यथासम्भव, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन संक्षिप्त विचारण के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार कर सकता है और उसे, कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से जो पांच हजार रूपए तक हो सकेगा अथवा दोनो से दण्डित कर सकेगा ।

[1][(5–क) इस अधिनियम के अधीन यदि अन्वेषण के किसी प्रक्रम पर, जहाँ लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि परिवाद मिथ्या या तंग करने वाला है अथवा सद्भावपूर्वक नही किया गया है या किसी लोक सेवक को अपमानित करने की दृष्टि से किया गया है तो यथास्थिति, लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त परिवादी को कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे परिवाद के अन्वेषण को अपने विवेकानुसार बन्द कर सकता है और पचास हजार रूपये से अनधिक की धनराशि तक हर्जाना लगा सकता है, जो राज्य की संचित निधि के सम्बन्धित शीर्षक के अधीन जमा की जायेगी । यदि परिवादी द्वारा आदेश के दिनांक से दो माह के भीतर हर्जाने की राशि का भुगतान नही किया जाता है तो वह परिवादी की सम्पत्ति से भू–राजस्व के रूप में कलेक्टर के माध्यम से वसूल की जायेगी ।

[1](5–ख) इस अधिनियम के अधीन किसी अभिकथन के अन्वेषण के पश्चात् यदि लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे अन्वेषण के परिणाम स्वरूप संबंधित लोक सेवक के साथ अन्याय हुआ है या उसकी मानहानि हुई है तो लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त उसके आवेदन करने पर कारण उल्लिखित करते हुये अपने विवेकानुसार ऐसे लोक सेवक को, जिसे अन्याय या मानहानि के कारण कोई क्षति हुई है उप धारा (5–क) के अधीन परिवादी पर अधिरोपित हर्जाने की धनराशि मे से हर्जाने की अधिकतम सीमा से अनधिक धनराशि तक प्रतिकर प्रदान कर सकता है और ऐसा प्रतिकर राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा ।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम सख्या 4, 2012 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।

(6) जब कोई ऐसा अपराध, जैसा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179 या धारा 180 में वर्णित है, लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की दृष्टिगोचरता या उपस्थिति में किया जाता है, तब वह अपराधी को अभिरक्षा मे निरूद्ध करा सकता है और उसी दिन किसी समय अपराध का संज्ञान कर सकता है और अपराधी को ऐसा कारण दर्शित करने का, कि क्यों न उसे इस धारा के अधीन दण्डित किया जाय, उचित अवसर देने के पश्चात् अपराधी को सादा कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माना से जो पांच सौ रूपयें तक हो सकेगा या दोनो से दण्डित कर सकेगा ।

(7) उपधारा (6) के अधीन विचारित प्रत्येक मामले में, यथास्थिति, लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त वे तथ्य जिनसे अपराध बनता है उनको अपराधी द्वारा किये गये कथन के (यदि कोई हो) सहित तथा निष्कर्ष और दण्डादेश को भी अभिलिखित करेगा ।

(8) उपधारा (5) अथवा उपधारा (6) के अधीन किए गए विचारण में सिद्ध दोष कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 29 के उपबन्ध, जहां तक वे लागू हो सकते है, इस उपधारा के अधीन अपीलों पर लागू होंगे, और अपील न्यायालय निष्कर्ष को परिवर्तित कर सकता है या उलट सकता है या उस दण्ड को, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, कम कर सकता है या उलट सकता है ।

(9) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 मे समाविष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (5), (6), (7) तथा (8) के उपबन्ध प्रभावी होंगे किन्तु इन उपधाराओं की कोई बात किसी ऐसे अपराध के सम्बन्ध में, यथास्थिति, लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त की उपधारा (3) के अधीन कार्यवाही करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी, जहां वह उपधारा (5), (6) तथा (7) के अधीन कार्यवाही करना पसन्द न करे ।

(10) शब्द तथा पद, जो उपधारा (5) से (9) में प्रयुक्त किए गए है और जिन्हें इस अधिनियम में परिभाषित नही किया गया है, उनके वही अर्थ होगें जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में है ।

लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त का कर्मचारिवर्ग

14–(1) इस अधिनियम के अधीन लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्तों को, उनके कृत्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिए, लोक आयुक्त अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा या करने के लिए किसी उप लोक आयुक्त को अथवा लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त के अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नही किया जायगा कि वह किसी व्यक्ति को, जो केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन पद धारण करता हो, उस सरकार की सहमति से प्रतिनियुक्ति के लिए रोकती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या तथा प्रवर्ग उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्ते एवं लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्तों की प्रशासनिक शक्तियाँ ऐसी होगी, जैसी कि लोक आयुक्त से परामर्श के पश्चात् किये गये राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जायें।

(3) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ ——

(1) राज्य या केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी या अन्वेषण एजेन्सी की सेवाओं का, उस सरकार की सहमति से, या

(2) अन्य किसी व्यक्ति या एजेन्सी की सेवाओं का, उपयोग कर सकेंगे ।

सूचना की गोपनीयता

15–(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या प्रयोजनार्थ, लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त या उनके कर्मचारियों द्वारा अभिप्राप्त कोई सूचना तथा ऐसी सूचना के संबंध में अभिलिखित या एकत्रित कोई साक्ष्य, धारा 10 की उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गोपनीय माने जायेंगे और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1) मे किसी बात के होते हुए किसी भी न्यायालय को यह हक नही होगा कि वह लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त या किसी लोक सेवक को ऐसी सूचना के संबंध में साक्ष्य देने के लिये या इस प्रकार अभिलिखित या एकत्रित साक्ष्य को पेश करने के लिये बाध्य करे ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात, ——

(क) अन्वेषण के प्रयोजनार्थ या उसके बारे में किए जाने वाले किसी प्रतिवेदन में या ऐसे प्रतिवेदन पर की जाने वाली किसी कार्यवाही, या कार्यवाहियों (प्रोसीडिंग्स) के लिए; या

(ख) आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनिमय 19) के अधीन किसी अपराध या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केंन्द्रीय अधिनियम 45) के अधीन मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के अपराध के संबंध में किसी भी कार्यवाही के प्रयोजन के लिये या धारा 13 के अधीन किसी अपराध या विचारण या धारा 16 के अधीन किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये ; या

(ग) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो विहित किये जायें ;

कोई सूचना या विशिष्टियां प्रकट करने पर लागू नही होगा ।

(3) तदर्थ विहित कोई अधिकारी या अन्य प्राधिकारी यथास्थिति, लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त को लिखित नोटिस दे सकेगा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज या सूचना अथवा इस प्रकार विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या सूचना के किसी भी वर्ष के संबंध में राज्य सरकार की राय में दस्तावेजों या सूचना या उस वर्ष की सूचना या दस्तावेजों को प्रकट करना लोक हित के विरूद्ध होगा और जहां ऐसी कोई नोटिस दे दी जाय वहां इस अधिनियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि उसके द्वारा लोक आयुक्त, उप लोक आयुक्त या उनके कर्मचारिवर्ग का कोई भी सदस्य नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज या सूचना को या इस प्रकार विनिर्दिष्ट किसी वर्ग के किसी दस्तावेज या सूचना को किसी व्यक्ति को संसूचित करने के लिये प्राधिकृत या अपेक्षित है जब तक कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की अभिलिखित कारणों से वह राय न हो कि ऐसे दस्तावेज या सूचना के प्रकटीकरण में लोक हित सन्निहित नहीं है ।

लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त का साश्य अपमान या विघ्न या उनकी अपकीर्ति करना

16–(1) जो कोई लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त का उस समय जबकि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण का संचालन कर रहा हो साश्य कोई अपमान करता है, या उसके कार्य में कोई विघ्न डालता है, वह दोषी सिद्व होने पर सादा कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनो से दंडित किया जायेगा ।

(2) जो कोई या तो बोले गये या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा ऐसा कोई कथन करता है या प्रकाशित करता है या कोई अन्य कार्य करता है, जो लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की अपकीर्ति के लिए प्रकल्पित हो वह दोषी सिद्ध होने पर सादा कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकती है या जुर्माने से, या दोनो से दण्डित किया जायगा ।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 199 की उपधारा (2) से (6) के उपबन्ध उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त धारा 199 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में लागू होते हैं, परन्तु इस परिष्कार के अधीन कि ऐसे अपराध के संबंध में लोक अभियोजक द्वारा कोई भी परिवाद ––

(क) लोक आयुक्त के विरूद्ध किसी अपराध के मामले में, आयुक्त की;

(ख) उप लोक आयुक्त के विरूद्ध अपराध के मामले में, संबंधित उप लोक आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के बिना नही किया जायगा ।

संरक्षण

17–(1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी भी कार्य के संबंध में, लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त या धारा 14 में निर्दिष्ट किसी अधिकारी, कर्मचारी, एजेन्सी या व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नही की जायगी ।

(2) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की कोई कार्यवाही औपचारिकता के अभाव में गलत नही मानी जायगी, और लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की किसी भी कार्यवाही या विनिश्चय को, अधिकारिता के आधार का अपवाद करते हुए, किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जायगी, न उसका पुनर्विलोकन या अभिखण्डन किया जायगा, न उस पर कोई आपत्ति की जायगी ।

लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त आदि को अतिरिक्त कृत्यों का प्रदान किया जाना

18–(1) राज्य सरकार, गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा और लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात् यथास्थिति, लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को भ्रष्टाचार के उन्मूलन के संबंध में ऐसे अतिरिक्ति कृत्य प्रदान कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें ।

(2) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा एवं लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात् लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित या नियुक्ति एजेन्सियों, प्राधिकारियों या अधिकारी वर्ग के ऊपर पर्यवेक्षण करने की शक्तियां प्रदान कर सकेगी ।

(3) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा एवं ऐसी शर्तो और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो आदेश मे विनिर्दिष्ट की जायें, लोक आयुक्त से किसी भी कार्यवाही का जो ऐसी कार्यवाही हो, (जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त का परिवाद किया जा सकता हो) अन्वेषण करने की अपेक्षा कर सकेगी और इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी लोक आयुक्त ऐसे आदेश का पालन करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त ऐसी किसी भी कार्यवाही का (जो ऐसी कार्यवाही हो जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी उप लोक आयुक्त को परिवाद किया जा सकता हो) अन्वेषण किसी उप लोक आयुक्त को सौंप सकेगा ।

(4) जब लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त को उपधारा (1) के अधीन कोई अतिरिक्त कृत्य प्रदान किये जायें अथवा जब लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त को उपधारा (3) के अधीन किसी कार्यवाही का अन्वेषण करना हो, तब लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त उन्हीं शक्तियों का प्रयोग एवं उन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगा जिनका प्रयोग वह किसी परिवाद पर जिसमें कोई अभिकथन सन्निहित हो, किये जाने वाले अन्वेषण के मामले में करता और इस अधिनियम के उपबन्ध तद्नुसार लागू होंगे ।

लोक सेवक को कतिपय वर्गो के विरूद्ध परिवादों को अपवर्जित करने की शक्ति

19–(1) राज्य सरकार लोक आयुक्त के परामर्श से तथा उसका इस बात से समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, गजट में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट लोक सेवकों के किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्ध परिवादों को जिनमें शिकायत या अभिकथन सन्निहित हो, लोक आयुक्त अथवा, यथास्थिति, उप लोक आयुक्त की अधिकारिता से अपवर्जित कर सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी अधिसूचना उन लोक सेवकों के सम्बन्ध में जारी नही की जायगी जो एक हजार रूपये या अधिक का न्यूनतम मासिक वेतन (भत्तों को छोड़कर) वाले पद धारण कर रहे हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र मे हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिये जो एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों मे हो सकती है, रखी जायगी और यदि उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व सदन अधिसूचना में कोई परिष्कार करने के लिये सहमत हो अथवा सदन इस बात से सहमत हो कि अधिसूचना का अभिशून्यन ऐसे निर्णय के प्रकाशन के दिनांक से केवल ऐसे परिष्कृत रूप से प्रभावी होगी अथवा, यथा स्थिति, प्रभावहीन हो जायगी, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उक्त अधिसूचना के कारण पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

प्रत्यायोजन की शक्ति

20–लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त किसी लिखित सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन या द्वारा उसकों प्रदत्त किन्हीं भी शक्तियों अथवा उस पर आरोपित किन्हीं भी कर्त्तव्यों (धारा 12 के अधीन राज्यपाल का प्रतिवेदन देने की शक्ति के सिवाय) का प्रयोग या पालन [1][धारा 14 मे निर्दिष्ट ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा एजेन्सियों द्वारा] भी किया जा सकेगा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें ।

व्यय का संचित निधि पर भारित होनो

[2][**20–क**– एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को या उनके सम्बन्ध में देय वेतन, भत्ता और पेंशन, उनके कर्मचारिवर्ग और कार्यालय से संबंधित व्यय और धारा 13 की उप धारा (5–ख) के अधीन अन्याय या मानहानि के लिये लोक सेवक को दी गयी प्रतिकर की राशि और इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा ।]

नियम बनाने की शक्ति

21– (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है : ––

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7, 1981 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित। (हिन्दी वर्जन में)
2. उ0 प्र0 अधिनियम सख्या 4, 2012 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित । (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 7, 1981 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया)

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है : ——

(क) धारा 2 के खण्ड (ग) के उप खण्ड (2) के अधीन विहित किये जाने के निमित्त अपेक्षित प्रयोजन के लिये प्राधिकारी ;

(ख) लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्तों को देय भत्ते और पेंशन, यदि कोई हो, एवं सेवा की अन्य शर्तें ;

(ग) प्रपत्र, यदि कोई हो, जिसमें परिवाद किया जा सकेगा तथा फीस, यदि कोई हो, जो उसके संबंध में ली जा सकेगी, ओर जिस व्यक्ति के विरूद्ध अभिकथन किया जाय उसके विरूद्ध खर्चे के लिए प्रतिभूति, यदि कोई हो, जिसे देना अपेक्षित हो ;

(घ) किसी सिविल न्यायालय की शक्तियां जो लोक आयुक्त अथवा किसी उप लोक आयुक्त द्वारा प्रयुक्त की जा सकेगी ;

(ड़) कोई भी अन्य विषय जो विहित किया जाना है अथवा किया जा सकता है या जिसके संबंध में इस अधिनियम मे कोई उपबन्ध नही है अथवा अपर्याप्त उपबन्ध है और राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन के लिये उपबन्ध होना आवश्यक है ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र मे हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिये जो एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकता है, रखा जायगा और यदि उक्त अवधि के दौरान सदन नियम में कोई परिष्कार करने के लिये सहमत हो अथवा सदन इस बात से सहमत हो कि नियम का अभिशून्यन किया जाना चाहिए और ऐसा निर्णय सरकारी गजट में अधिसूचित कर दे तो नियम ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से केवल ऐसे परिष्कृत रूप में प्रभावी होगा अथवा यथास्थिति, प्रभावहीन हो जायगा, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उक्त नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

संदेहों का दूर किया जाना

22–सन्देहों को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम में किसी बात का यह अर्थ नही लगाया जायगा कि वह लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त को ——

(क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी न्यायाधीश अथवा संविधान के अनुच्छेद 236 के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित न्यायिक–सेवा के किसी सदस्य ,

(ख) किसी भी न्यायालय के किसी अधिकारी अथवा सेवक,

(ग) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश,

(घ) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य, या उसके कर्मचारिवर्ग के किसी सदस्य,

(ड़) संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्तों एवं प्रादेशिक आयुक्तों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश,

(च) राज्य विधान मण्डल के किसी सदन के सचिवालय के कर्मचारिवर्ग के किसी सदस्य, के विरूद्ध [1][किसी अभिकथन या शिकायत का] अन्वेषण करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सख्या 10, 1989 की धारा 4(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(छ) राज्यपाल सचिवालय के कर्मचारिवर्ग के किसी सदस्य]

23– इस अधिनियम के उपबन्ध किसी भी ऐसी अन्य अधिनियमिति या विधि के किसी नियम के उपबन्धों के अतिरिक्ति होंगे जिनके अधीन इस अधिनियम के अधीन परिवाद करने वाले व्यक्ति को किसी अन्य रीति से, कोई उपचार उपलब्ध है और इस अधिनियम की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति के ऐसे उपचार का लाभ उठाने के अधिकार को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी । **अपवाद**

24– उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अध्यादेश, 1975 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । **निरसन उ0 प्र0 अध्यादेश सं0 13, 1975**

प्रथम अनुसूची

[धारा 3 (2) देखिये]

मै , ... जो लोक आयुक्त/उप लोक आयुक्त नियुक्त हुआ है ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मै विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान एवं विवेक से अपने पद के कत्तर्व्यों का भय तथा पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा ।

[2][द्वितीय अनुसूची

[धारा 5 (4) देखिये]

लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त को वास्तविक सेवा में बितायें गये समय के बारे में निम्नलिखित दर से प्रति मास वेतन दिया जायगा अर्थात् ––

लोकायुक्त — यदि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी [3][उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति] या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहा हो तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या किसी [3][उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीपति] को समय–समय पर क्रमशः अनुमन्य वेतन ।

उप लोक आयुक्त — यदि वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को समय–समय पर अनुमन्य वेतन और किसी अन्य स्थिति में, भारत सरकार के किसी अपर सचिव का समय–समय पर अनुमन्य वेतन :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी सरकार के अधीन या राज्य सरकार या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी सरकार के अधीन पहले की गई सेवा के बारे में (निर्योग्यता या क्षत पेंशन से भिन्न) कोई पेंशन मिलती हो तो लोक आयुक्त या, यथास्थिति, उप लोक आयुक्त की हैसियत से सेवा के बारे में उसके वेतन मे से निम्नलिखित राशियां घटा दी जायेंगी ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम सख्या 10, 1989 की धारा 4(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सख्या 8, 1988 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सख्या 29, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) पेंशन की राशि ; और

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में, अपने को देय पेंशन के एक भाग के बदले में उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया हो तो [1]"पेंशन के उस भाग की राशि],

(ग) [2][X X X X]]

तृतीय अनुसूची

[धारा 8 (1) (ख) (1) देखिये]

(क) अपराध का अन्वेषण करने अथवा राज्य की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ की गयी कार्यवाही।

(ख) अवधारित करने के संबंध में कि न्यायालय में कोई मामला जायगा या उसका अभियोजन जारी रहेगा या नहीं, शक्तियों का प्रयोग करके की गयी कार्यवाही ।

(ग) उन विषयों में जो ग्राहकों या पूर्तिकर्ताओं के साथ, यथास्थिति, सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या अन्य निगम, कम्पनी, या सोसाइटी के प्रशासन के केवल वाणिज्यिक संबंधों को नियंत्रित करने वाली संविदा के निबन्धनों से प्रोद्भूत हो, की गयी कार्यवाही, सिवाय उस दशा के जब परिवादी संविदायी आभार को पूरा करने में परेशानी अथवा घोर विलम्ब का अभिकथन करता हो ।

(घ) लोक सेवकों की नियुक्ति, निष्कासन, वेतन, अनुशासन, [3][जो धारा 2 के खण्ड (ध) के उपखण्ड (2) में निर्दिष्ट नियुक्ति न हो] अधिवार्षिकी या सेवा शर्तों से संबंधित अन्य विषयों के बारे में की गयी कार्यवाही, किन्तु इसके अन्तर्गत पेंशन, अनुग्रह राशि, भविष्य निधि का कोई दावा अथवा सेवा निवृत्ति, निष्कासन अथवा सेवा निवृत्ति निष्कासन अथवा सेवा समापन से प्रोद्भूत कोई दावा सम्मिलित नही है ।

(ङ) सम्मान तथा पारितोषिक का प्रदान किया जाना ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सख्या 10, 1989 की धारा 5(एक) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सख्या 10, 1989 की धारा 5(दो) द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सख्या 10, 1989 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया ।

उद्‌देश्य और कारण

प्रशासनिक सुधार आयोग से यह अपेक्षा की गई थी कि वह लोक सेवाओं में दक्षता और सत्यनिष्ठा के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करने की और लोक प्रशासन को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए अन्य विषयों के साथ–साथ नागरिकों की शिकायतों को दूर करने की समस्याओं पर विचार करें। विशेष रूप से आयोग से यह प्रत्याशा की गई थी कि वह निम्नलिखित का परीक्षण करें :–

(1) शिकायतों को दूर करने की वर्तमान व्यवसाि की पर्याप्तता ; और

(2) शिकायतों को दूर करने के लिये किसी नये शासनतंत्र या विशेष संस्था की स्थापना। आयोग ने एक रिपोर्ट दी जिसमें भ्रष्टाचार के प्रचलन, व्यापक अदक्षता और जनता की आवश्यकताओं की ओर से प्रशासन की उदासीनता की उस शिकायत पर विचार किया जो अक्सर जनता द्वारा व्यक्त की जाती रही है। उसने यह महसूस किया कि इस बात का समाधान यही हो सकता है कि ऐसी मशीनरी स्थापित की जाय जो जनता के परिवादों का परीक्षण करे और मिथ्या या अमान्य परिवादों से वास्तविक परिवादों को अलग करे जिससे कि प्रशासन की असफलताओं का और उपलब्धियों का अवलोकन उनके सही रूप में खुले आम हो सके। सेवाओं को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से भी ऐसी संस्था आवश्यक समझी गई। इस कारण आयोग ने यह सिफारिश की कि भ्रष्टाचार और कुप्रशासन से उत्पन्न होने वाले अन्याय अभिकथित करने वाले परिवादों की जांच के लिये कानूनी शासन–तंत्र होना चाहिए।

2–यह विधेयक प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को उस सीमा तक प्रभावी बनाने के लिये है जहां तक कि वह राज्य के क्षेत्र के भीतर विषयों से संबंधित है। यह विधेयक मुख्यतः भारत सरकार के लोकपाल तथा लोक आयुक्त विधेयक, 1971 के समरूप ही है।

3–इस विधेयक की परिधि में मंत्रियों व उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य प्रमुख सार्वजनिक व्यक्ति भी आते हैं। राज्य सरकार कृत संकल्प है कि प्रदेश को एक स्वच्छ व कुशल प्रशासन दे, उसी के अनुसरण में यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।